भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1429
दिनांक 13 फरवरी, 2025

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को एलपीजी कनेक्शन

†1429. श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह:
श्री भोजराज नाग:
श्री आलोक शर्मा:
श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर:
डॉ. राजेश मिश्रा:
श्री राजकुमार चाहर:
श्री नव चरण माझी:
श्री मनीष जायसवाल:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कोई उपाय किए गए हैं कि सामाजिक-आर्थिक, जातिगत जनगणना सूची और विनिर्दिष्ट श्रेणियों के अंतर्गत शामिल सभी पात्र लाभार्थियों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) की जानकारी प्राप्त हो;

(ख) लाभार्थियों द्वारा परम्परागत इंधनों का उपयोग पुन: आरंभ करने के बजाय एलपीजी का सतत् उपयोग सुनिश्चित करने हेतु क्या तंत्र उपलब्ध हैं;

(ग) क्या सरकार का गरीब परिवारों द्वारा एलपीजी का सतत् उपयोग सुनिश्चित करने की दृष्टि से री-फिल लागत हेतु अतिरिक्त राजसहायता देने के लिए पीएमयूवाई का विस्तार करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) उक्त योजना के अंतर्गत सीधी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एलपीजी कनेक्शन के लिए कुल कितने पात्र लाभार्थियों को चिह्नित किया गया और अब तक कुल कितने पात्र लाभार्थियों को एलपीजी कनेक्शन वितरित किए गए हैं; और

(च) शेष परिवारों को एलपीजी कनेक्शन कब तक वितरित कर दिए जाएंगे?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) से (च): पूरे देश में गरीब परिवारों की व्यस्क महिला सदस्यों के नाम से बगैर जमानत राशि के एलपीजी कनेक्शन जारी करने के उद्देश्य से मई, 2016 में प्रधान मंत्री उज्जवला योजना (पीएमयूवाई) की शुरुआत की गई थी। पीएमयूवाई के तहत एलपीजी कनेक्शन गरीब परिवारों की वयस्क महिला सदस्यों के नाम पर जारी

किए जाते हैं। बशर्ते परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर कोई एलपीजी कनेक्शन न हो और अन्य नियम व शर्तें पूरी हों। सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना से संबंधित परिवार (एसईसीसी) सूची में शामिल या अन्य सात श्रेणियों जैसे अनुसूचित जाति (एससी) परिवार, अनुसूचित जनजाति (एसटी) परिवार, अति पिछड़ा वर्ग (एमबीसी), पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के लाभार्थी, अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के लाभार्थी, वनवासी, द्वीप/नदी द्वीपों के निवासी, चाय बागान/पूर्व चाय बागान श्रमिक या गरीब परिवार जो उपरोक्त श्रेणियों के अंतर्गत शामिल नहीं हैं, वे 14 सूत्रीय घोषणा प्रस्तुत करके पीएमयूवाई कनेक्शन के लिए पात्र हैं। उज्ज्वला 2.0 के अंतर्गत प्रवासी परिवारों के लिए एक विशेष प्रावधान किया गया है, जो पीएमयूवाई कनेक्शन के लिए आवेदन करने हेतु पते के प्रमाण और राशन कार्ड के स्थान पर स्व-घोषणा का उपयोग कर सकते हैं।

पीएमयूवाई के अंतर्गत 8 करोड़ कनेक्शनों को जारी करने के लक्ष्य को सितंबर, 2019 में हासिल कर लिया गया था। शेष गरीब परिवारों को कवर करने के लिए, उज्जवला 2.0 को अगस्त, 2021 में शुरू किया गया था जिसका उद्देश्य 1 करोड़ अतिरिक्त पीएमयूवाई कनेक्शनों को जारी करना था जिसे जनवरी, 2022 में हासिल कर लिया गया था। तत्पश्चात, सरकार ने उज्जवला 2.0 के तहत 60 लाख से अधिक एलपीजी कनेक्शन जारी करने का निर्णय लिया और दिसंबर, 2022 के दौरान उज्जवला 2.0 के तहत 1.60 करोड़ कनेक्शनों का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। इसके अलावा, सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 से 2025-26 की अवधि के लिए पीएमयूवाई योजना के तहत 75 लाख अतिरिक्त कनेक्शन जारी करने का अनुमोदन दे दिया था जिसे जुलाई, 2024 के दौरान हासिल कर लिया गया है। दिनांक 01.01.2025 की स्थिति के अनुसार, पीएमयूवाई योजना के अंतर्गत 10.33 करोड़ एलपीजी कनेक्शन हैं। सीधी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के तहत कवर किए गए जिले में पीएमयूवाई कनेक्शनों का विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

पीएमयूवाई लाभार्थियों की एलपीजी खपत की नियमित आधार पर निगरानी की जाती है। परिवारों द्वारा घरेलू एलपीजी की खपत कई कारकों जैसे कि भोजन की आदतें, परिवार का आकार, खाना पकाने की आदतें, परंपरा, स्वाद, पसंद, मूल्य और वैकल्पिक ईंधन की उपलब्धता आदि पर निर्भर करती है।

देश भर में एलपीजी तक पहुँच को समुन्नत करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ पीएमयूवाई को प्रोत्साहित करने के निमित्त अभियान चलाना, कनेक्शनों का नामांकन और वितरित करने के निमित्त मेला/शिविर आयोजित करना, आउट ऑफ होम (ओओएच) होर्डिंगों, रेडियो जिंगलों, सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) वैनों आदि के माध्यम से प्रचार-प्रसार करना, अन्य पारंपरिक ईंधनों की तुलना में एलपीजी का उपयोग करने के लाभों और एलपीजी पंचायतों के माध्यम से एलपीजी का सुरक्षित उपयोग के बारे में जागरूकता फैलाना, विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत नामांकन/जागरूकता शिविर, पीएमयूवाई कनेक्शन प्राप्त करने के निमित्त आधार नामांकन और बैंक खाता खोलने के लिए उपभोक्ताओं और उनके परिवारों की सुविधा प्रदान करना, एलपीजी कनेक्शन प्राप्त करने की प्रक्रिया का सरलीकरण, www.pmuy.gov.in पर पीएमयूवाई कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन, निकटतम एलपीजी वितरक, जन

सहायता केन्द्र (सीएससी) इत्यादि, 5 किलोग्राम के डबल बॉटल कनेक्शन (डीबीसी) का विकल्प, 14.2 किलोग्राम से 5 किलोग्राम के सिलेंडर में अदला-बदली का विकल्प और प्रवासी परिवारों के लिए निवास प्रमाण और राशन कार्ड के बजाय स्व-घोषणा के आधार पर नया कनेक्शन प्राप्त करने की सुविधा शामिल है। इसके अतिरिक्त, ओएमसीज लगातार विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में नई एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप की कमिशनिंग कर रही है। पीएमयूवाई स्कीम की शुरुआत से, ओएमसीज ने देशभर में 7944 डिस्ट्रीब्यूटरशिप (01.04.2016 से 31.10.2024 के दौरान कमीशन की गई) कमीशन की है, जिनमें से 7361 (अर्थात् 93%) ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं। पीएमयूवाई उपभोक्ताओं द्वारा घरेलू एलपीजी के लगातार बढ़ता उपभोग ग्रामीण परिवारों द्वारा एलपीजी को व्यापक रूप से अपनाए जाने का संकेतक है। पीएमयूवाई परिवारों का प्रति व्यक्ति उपभोग वर्ष 2019-20 में 3.01 रिफिल (14.2 कि.ग्रा. घरेलू एलपीजी सिलिंडरों के संदर्भ में) से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 3.95 और वर्ष 2024-25 में दिसंबर, 2024 तक और बढ़कर 4.40 (वार्षिक आधार) पर हो गया है।

पीएमयूवाई की शुरुआत से वित्त वर्ष 2022-23 तक, सरकार 1600 रुपए प्रति पीएमयूवाई कनेक्श्न के लिए सिलिंडर की जमानत राशि (एसडी), प्रेशर रेगुलेटर, सुरक्षा होज, डीजीसीसी बुकलेट और इंस्टालेशन प्रभार के संबंध में खर्च वहन कर रही है। वित्त वर्ष 2023-24 से, 14.2 कि.ग्रा. एकल बॉटल कनेक्शन/5 कि.ग्रा. डबल बॉटल कनेक्शन के लिए 2200 रुपए प्रति कनेक्शन और 5 कि.ग्रा. सिंगल बॉटल कनेक्शन के लिए 1300 रुपए प्रति कनेक्शन के लिए इस खर्च को बढ़ा दिया है।

पीएमयूवाई उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी को और अधिक किफायती बनाने और उनके द्वारा एलपीजी के सतत प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने मई, 2022 में पीएमयूवाई उपभोक्ताओं के लिए अधिकतम प्रति वर्ष 12 रिफिल तक (और 5 कि.ग्रा. कनेक्शनों के लिए आनुपातिक रुप से आनुपातिक मूल्यांकन) 200 रुपए प्रति 14.2 कि.ग्रा. सिलेण्डर की निर्धारित राजसहायता शुरु की। अक्तूबर, 2023 में, सरकार ने अधिकतम प्रति वर्ष 12 रिफिल तक (और 5 कि.ग्रा. कनेक्शनों के लिए आनुपातिक रुप से आनुपातिक मूल्यांकन) 300 रुपए प्रति 14.2 कि.ग्रा. सिलेण्डर की निर्धारित राजसहायता बढ़ा दी है। पीएमयूवाई उपभोक्ताओं को 300 रुपए/सिलेंडर की निर्धारित राजसहायता के पश्चात, भारत सरकार 503 रुपये प्रति सिलेंडर (दिल्ली में) की प्रभावी मूल्य पर 14.2 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडर प्रदान कर रही है। यह देशभर मं 10.33 करोड़ से अधिक उज्जवला लाभार्थियों को उपलब्ध है। पीएमयूवाई के अंतर्गत एलपीजी कवरेज को विस्तारित करने के लिए कोई भावी लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं।

***

अनुलग्नक

“प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को एलपीजी कनेक्शन ” के संबंध में श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह, श्री भोजराज नाग, श्री आलोक शर्मा, श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर, डॉ. राजेश मिश्रा, श्री राजकुमार चाहर, श्री नव चरण माझी और श्री मनीष जायसवाल द्वारा दिनांक 13.02.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1429 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

जिला	दिनांक 01.01.2025 की स्थिति के अनुसार पीएमयूवाई के तहत जारी किए गए कुल कनेक्शन (लाख)
शहडोल	1.48
सिधी	1.88
सिंगरोली	1.86

****